Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Revision No.- 89/2022

Rakesh Kumar Roshan ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा पारित आपूर्त्ति अपील वाद सं0–139/2021–22 में दिनांक–05.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक शिक्षित बेरोजगार है जिन्हें पंचायत–बिशनपुर, थाना–बरारी, जिला–कटिहार हेतु जनवितरण प्रणाली विक्रेता के रूप में विधिवत् चयनित करते हुए अनुज्ञप्ति सं0–119/2018 निर्गत किया गया। उत्तरवादी सं0–05, बिनोद कुमार यादव द्वारा उनके गलत भूमि एग्रीमेंट के आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त भूमि बिहार सरकार की है। आवेदक इस बात से अनभिज्ञ थे। जब इन्हें जानकारी हुई कि उक्त भूमि बिहार सरकार की है तब इनके द्वारा एक निजी रैयत रमेश मंडल की भूमि का एग्रीमेंट समर्पित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार ने उक्त एग्रीमेंट को अस्वीकृत करते हुए आदेश ज्ञापांक–120 दिनांक–27.03.2021 द्वारा इनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध इनके द्वारा समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष उपरोक्त अपील दायर किया गया। समाहर्त्ता, कटिहार ने पाया कि उनकी अध्यक्षता में जिला चयन समिति के निर्णय से आवेदक की अनुज्ञप्ति रद्द की गई है। फलतः क्षेत्राधिकार से परे पाते हुए उक्त अपील को अस्वीकृत कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न दोनों न्यायालयों का आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। आवेदक द्वारा अनजाने में दुकान स्थल का त्रुटिपूर्ण एग्रीमेंट समर्पित करने के आधार अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। जबकि इन्हें जानकारी मिलते ही उक्त त्रुटि सुधार कर ली गई तो इन्हें अवसर दिया जाना चाहिए था। इनसे किसी प्रकार की कारणपृच्छा नहीं की गई। आवेदक मेधा सूची में विपक्षी सं0–05 से बेहतर है तथा ये अच्छे विचार व चरित्र वाले व्यक्ति हैं एवं इनके विरूद्ध ग्रामीणों की कोई शिकायत नहीं है। आवेदक द्वारा किसी गलत मंशा से एवं जानबूझकर उक्त गलती नहीं की गई थी। इस प्रकार	

Web Copy Not Official.

		इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–05 बिनोद कुमार यादव के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जनवितरण प्रणाली दुकान हेतु आवेदक द्वारा सूर्य क्रमशः	
	लगातार 20.07.2023	नारायण यादव से एग्रीमेंट किया गया था, जबकि वे उक्त भूमि पूर्व में ही धनंजय मंडल वगैरह के पास बिक्री कर चुके थे और उक्त भूमि गंगा में विलीन हो चुकी है। आवेदक द्वारा जनवितरण प्रणाली की दुकान बिशनपुर पंचायत में नहीं खोलकर भवानीपुर में खोला गया था जिससे उपभोक्ताओं को कठिनाई होती थी। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, बरारी द्वारा बिना जाँच किये अनुशंसा की गई है। विपक्षी द्वारा इस मामले को लोक शिकायत प्रथम अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त, पूर्णिया के समक्ष दायर किया गया था जिसे प्रथम अपीलीय प्राधिकार, जिला पदाधिकार, कटिहार के समक्ष विप्रेषित करते हुए निष्पादन का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा उक्त मामले में जब कोई समुचित कार्रवाई नहीं की गई तब इनके द्वारा द्वितीय अपीलीय प्राधिकार–सह–सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के समक्ष उक्त मामले को रखा गया। इनके द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदक की अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए विपक्षी सं0–05 के पक्ष में औपबंधिक अनुज्ञप्ति सं0–16 / 2021 निर्गत करने का निर्णय लिया गया जो नियमानुकूल सही है। आवेदक द्वारा जाल–फरेबी किया गया है। गलत दस्तावेज के आधार पर अनुज्ञप्ति प्राप्त किया गया था। इस प्रकार इनकी ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाकर व्यापार स्थल हेतु सरकारी भूमि का किरायानामा / एकरारनामा समर्पित किया गया था। मामले में कई स्तर से सुनवाई के पश्चात् सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग–सह–द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा भी निदेशित किया गया है कि प्रस्तुत मामले को जिला चयन समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखना सुनिश्चित करते हुए गलत जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दोषी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, बरारी के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। फलस्वरूप जिला चयन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति सं0–119 / 2018 रद्द किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला चयन समिति, कटिहार द्वारा लिया गया निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मत् है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें।	

Web Copy. Not Official.

		लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	

Web Copy. Not Official.